रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2018/श्रावण 16, 1940
No. 547] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2018/SHRAVANA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 749(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक सा.का.नि.453(अ) तारीख 15 मई, 2018 द्वारा प्रारूप नियम प्रकाशित किए गये थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम से युक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गये थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को 15 मई, 2018 को उपलब्ध करवाई गई थी ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दसवाँ संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 के उप–नियम (2) के खण्ड(घ) में प्रथम परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात; –

"परन्तु यह कि विद्युत यानों के मामले में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, परिवहन यानों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग से और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में दिखाया जाएगा।"

[फा. सं. आर.टी.11028/03/2018–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 527(अ), तारीख 06 जून, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2018

G.S.R. 749(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R. 453 (E), dated the 15th day of May, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 15th day of May, 2018.

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (10th Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 50, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"2A. In case of Battery Operated Vehicles, the registration mark shall be exhibited in Yellow colour on Green background for transport vehicles and for all other cases, in White colour on Green background.".

[F. No. RT-11028/03/2018-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 527(E) dated 06th June, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.10 16:07:56 +05'30'